



HM
25/9/89

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 8, 1989/चैत्र 18, 1911

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 8, 1989/CHAITRA 18. 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम,
(जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) Issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other
than the Administrations of Union Territories)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1989

मा.का.वि 286—एड्युकेटि, संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर)
सेवा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनायी है, अर्थात :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा (संशोधन) नियम, 1988 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 7 के उपनियम (2) के खण्ड
(अ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-
(ख) कनिष्ठ वेतनमान में श्रेष्ठ पञ्चाश प्रतिशत वृद्धि पर प्राधिकारी द्वारा अनुसूची 4 में यथाउपबंधित सम्यक रुक के गठित विभागीय प्रेरकता
समिति द्वारा गुणागुण के अनुसार चयन के आधार पर प्रोन्नति के सुवर्णत क्षेत्र से और अनुसूची 3 की क सं. 6 के सामने संशोधन 4 में समा-
विनिर्दिष्ट स्तूनतम अर्हक सेवा रखने वाले ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा चरी जाएगी जो इन नियमों की अनुसूची 2 में कनिष्ठ वेतनमान
में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं।
3. उक्त नियमों की अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात :-

अनुसूची-1

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए कर्तव्य वर्गों का भाग, उनकी संख्या और वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी	वर्गों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
		स्थायी	अस्थायी
		योग	
1. प्रमुख इंजीनियर		1	1
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी		7	13
3. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)			
4. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी		71	64
			135
			3700-125-4700-160-5000 रु.
			7300-100-7600 रु.
			5900-200-6700 रु.
			4500-150-5700 रु.

1	2	3	4
5. ज्येष्ठ काल वेतनमान	200	147	347
6. कनिष्ठ काल वेतनमान	232	383	616

कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) अधिकृतकारी है और उस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ कर्तव्य पदों (अर्थात् काष्ठ में ज्येष्ठ काल वेतनमान के स्तर तक के और उससे अधिक के सभी कर्तव्य पद के 15 प्रतिशत के बराबर होगी, और चयन श्रेणी में पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में मंजूर किए गए पदों की संख्या तक सीमित होगी।

4. उक्त नियमों की अनुसूची 3 के स्वाम पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची-3

(नियम-7 का उपनियम (2) और उपनियम (3) का खंड (ग) देखिए)

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए कर्तव्य पदों में प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और अगली निम्नतर श्रेणी में म्युक्तम प्रवृत्त सेवा।

क.सं.	श्रेणी	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति के लिए चयन क्षेत्र और म्युक्तम प्रवृत्त सेवा
1	2	3	4
1. प्रमुख इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा		ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा		कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है (जिसके अन्तर्गत अधिकृतकारी चयन), श्रेणी में की गई सेवा, यदि कोई है, भी है) या समूह के पदों में 17 वर्ष सेवा की है जिसमें से 4 वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए।
3. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)	संपूर्ण कार्य निष्पाद अनुभव और अन्य सुसंगत विषयों की विद्या में सेते हुए उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।		ऐसे अधिकारी जो वर्ष की 1 जुलाई को सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी संगणना उस वर्ष से की जाएगी जिसमें सेवा के व्यवस्था के समूह "क" पद नियुक्ति 1 भर्ती की गई थी।
4. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा		ज्येष्ठ वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की है।
5. ज्येष्ठ काल वेतनमान	ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।		कनिष्ठ वेतनमान में के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है।
6. कनिष्ठ काल वेतनमान	1 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 2 50 प्रतिशत नियम 7 के उपनियम (2) खंड (क) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा		आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे सहायक इंजीनियर उसको छोड़कर, जो विभिन्न सन्निवर्ष खण्ड में हैं, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

(5) उक्त नियमों की अनुसूची 4 के स्वाम पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची-4

(नियम 7 का उपनियम (4) देखें)

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा में सम्मिलित किए गए समूह "क" पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना:—

क. सं.	पद का नाम	समूह "क" वि. प्रो. सं. प्रोन्नति पर विचार करने के लिए	समूह "क" वि. प्रो. सं. पुष्टि पर विचार करने के लिए
1	2	3	4
1. प्रमुख इंजीनियर	1. अध्यक्ष/सदस्य सं. लो. से. प्रा. — अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय — सदस्य 3. महा निदेशक आकाशवाणी — सदस्य 4. महा निदेशक, दूरदर्शन — सदस्य		मुख्य

1	2	3	4
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1. अध्यक्ष/सदस्य सं. लो. से. प्रा. -- अध्यक्ष 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय -- सदस्य 3. महानिदेशक, आकाशवाणी -- सदस्य 4. महानिदेशक, दूरदर्शन -- सदस्य		शून्य
3. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)	1. संयुक्त सचिव, सू. और प्र. मंत्रालय -- अध्यक्ष 2. प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी -- सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन -- सदस्य		शून्य
4. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1. अध्यक्ष/सदस्य सं. लो. से. प्रा. -- अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सू. और प्र. मंत्रालय -- सदस्य 3. प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी -- सदस्य 4. प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन -- सदस्य		शून्य
5. ज्येष्ठ वेतनमान	1. प्रमुख इंजीनियर -- अध्यक्ष 2. उपसचिव, सू. और प्र. मंत्रालय -- सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर -- सदस्य (प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी के अध्यक्ष होने की दशा में मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन से होगा और प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन के अध्यक्ष होने की दशा में मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी से होगा)		शून्य
6. कनिष्ठ वेतनमान	1. अध्यक्ष/सदस्य सं. लो. से. प्रा. -- अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सू. और प्र. मंत्रालय -- सदस्य 3. प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी -- सदस्य 4. प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन -- सदस्य	1. प्रमुख इंजीनियर -- अध्यक्ष 2. उपसचिव, सू. और प्र. मंत्रालय -- सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर -- सदस्य (प्रमुख इंजीनियर, आकाशवाणी के अध्यक्ष होने की दशा में मुख्य इंजीनियर, दूरदर्शन से होगा और प्रमुख इंजीनियर, दूरदर्शन के अध्यक्ष होने की दशा में मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी से होगा।)	

टिप्पण 1: आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से आयोग की कार्यवाही, यदि समिति के प्राप्ति से अधिक सदस्यों ने उसके अधिवेशन में भाग लिया है तो अवधानमय नहीं होगी।

टिप्पण 2: पुष्टि से संबंधित वि. प्रो. सं. की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो सं. लो. से. प्रा. के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में वि. प्रो. सं. की बैठक फिर से होगी।

टिप्पण 3: जोर देना कि जो भी पर पर नियुक्त किए गए किसी अधिकारी पर उच्चतर पद में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है तो श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी, उनको अपेक्षित वर्षों की सेवा न होने पर भी, विचार किया जाएगा।

(6) उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(4) सरकार, आयोग के परामर्श से अनुसूची-1 में सम्मिलित पदों से भिन्न किन्हीं सर्वोच्च पदों की सेवा में सम्मिलित कर संशोधन या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किए गए पद की सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।”

(7) नियमों के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(4) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन ज्येष्ठ काल वेतनमान और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) के पदों पर प्रोन्नति की दशा के विचार, गुणांश के आधार पर चयन द्वारा किया जाएगा। ज्येष्ठ काल वेतनमान में प्रोन्नति, आयु की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) में प्रोन्नति के लिए चयन, अनुसूची 4 के प्राथमिक संयोजक रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर संपूर्ण कार्य निष्पादन अनुभव और अन्य सुसंगत विषयों को ध्यान में रखा जाएगा, रजि. सं. 1/81-81 द्वारा प्राधारित ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा।”

(8) उक्त नियमों की अनुसूची 2 के पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

टिप्पण: मूल नियम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81-मी (डी) सा. वा. नि. 568 (ई. आई.) तारीख 4-11-81 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 तारीख 5-11-81 द्वारा में प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित संशोधन किया गया था

“(2) जिसने उक्त वर्ष के 1 अगस्त को जिसमें परीक्षा ली जाती है, 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 29 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है”

यथा था :

- (1) भारत के राजपत्र, प्रकाशरण, भाग-2 खंड 3(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81 बी(डी) सा.का.प्रि. 736 (ई) तारीख 13-9-1982
- (2) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड-3(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/85-बी(डी) सा.का.प्रि. 736 तारीख 1-9-86
- (3) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड-3(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना तारीख 14-8-1987
- (4) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(1) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना तारीख 31-10-1987।

[सं. 2/7/85 एस-III बी(डी)]

बी.के. शर्मा, सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 23rd March, 1989

G.S.R. 266 : In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service (Amendment) Rules 1989.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, hereinafter referred to as the said rules, for clause (b) of sub-rule (2) of rule 7, the following clause shall be substituted, namely:—
- “(b) The remaining 50% vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by the Controlling Authority by promotion of officers possessing qualifications prescribed for direct recruitment to Junior Time Scale in Schedule II of these rules from the relevant field of promotion and possessing the minimum qualifying service as specified against Serial number 6, in Column 4 of Schedule III on the basis of selection on merit by a duly constituted Departmental Promotion Committee as provided in Schedule IV.”
3. For Schedule I of the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:— “SCHEDULE-I

[See sub rule (i) of Rule 4]

NAME, NUMBER AND SCALE OF PAY OF DUTY POSTS INCLUDED IN THE VARIOUS GRADES OF THE INDIAN BROADCASTING (ENGINEERS) SERVICE.

S.No.	Grade	No. of posts			Scale of pay	
1	2	3			4	
		Pt.	Temp.	Total		
1. Engineer-in-Chief		1	1	2	Rs.	7300-100-7600
2. Senior Administrative Grade		7	15	22	Rs.	5900-200-6700
3. Junior Administrative Grade (Selection Grade)			**		Rs.	4500-150-5700
4. Junior Administrative Grade		71	64	135	Rs.	3700-125-4700-130-5000
5. Senior Time Scale		200	147	347	Rs.	3000-100-3500-125-4500
6. Junior Time Scale		232	383	615	Rs.	2200-75-2800-EB-100-4000.

**The Junior Administrative Grade (Selection Grade) is non-functional grade and the maximum number of posts in this grade shall be equal to 15% of the senior duty posts (i.e. all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the Grade), and the number of posts in the Selection Grade will be limited to the number of posts sanctioned in the Junior Administrative Grade.”

- (4) For Schedule III of the said rules, the following schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule-III and
(See clause (c) of sub-rule (2), and (3) of rule 7).

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S. No.	Grade	Method of recruitment	Field of selection & minimum qualifying service for promotion
1	2	3	4
(1) Engineer-in-Chief		By promotion	Officers in Senior Administrative Grade with 3 years regular service in the grade.

1	2	3	4
(2) Senior Administrative Grade	By promotion	Officers in the Junior Administrative Grade with 8 years regular service in the grade (including service), if any, in the non-functional selection grade or 17 years regular service in Group 'A' posts, out of which at least 4 yrs. regular service should be in Junior Administrative Grade.	
(3) Junior Administrative (Grade) (Selection Grade).	By appointment on the basis of Seniority based on suitability taking into account the overall performance, experience and any other related matters.	Officers who have entered the Fourteenth year of service as on 1st July of the year calculated from the year following the year in which the member was appointed/recruited to Group 'A' posts.	
(4) Junior Administrative Grade.	By promotion.	Officers in the Senior Time Scale with 5 years regular service in the grade.	
(5) Senior Time Scale.	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Officers in the Junior Time Scale with 4 years regular service in the grade.	
(6) Junior Time Scale.	(i) 50% by promotion. (ii) 50% by direct recruitment in accordance with clause (a) of sub rule (2) of rule 7.	Assistant Engineers of the Akashvani/Doordarshan excluding those in Civil Construction wing with 3 years regular service in the grade.	

(7) For Schedule IV of the said rules, the following schedule shall be substituted, namely:—

“Schedule IV

[See sub-rule (4) of rule (7)]

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group 'A' posts included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

S. No.	Group 'A' DPC (For considering promotion)	Group 'A' DPC (For considering confirmation)	
1	2	3	4
1. Engineer-in-Chief	1. Chairman/Member. UPSC 2. Secretary. M/o I&B 3. Director General of All India Radio 4. Director General, Doordarshan	--Chairman --Member --Member --Member	Nil
2. Senior Administrative Grade.	1. Chairman/Member UPSC 2. Secretary, M/o I&B 3. Director General, All India Radio 4. Director General, Doordarshan	--Chairman --Member --Member --Member	Nil
3. Junior Administrative Selection Grade.	1. Joint Secretary, M/o I & B 2. Chief Engineer, All India Radio 3. Chief Engineer, Doordarshan	--Chairman --Member --Member	Nil
4. Junior Administrative Grade.	1. Chairman/Member. UPSC 2. Jt. Secretary. M/o I&B 3. Engineer-in-Chief, AIR 4. Engineer-in-Chief, Doordarshan	--Chairman --Member --Member --Member	Nil
5. Senior Scale	1. Engineer-in-Chief 2. Dy. Secy. M/o I&B 3. Chief, Engineer (In case the chairman is Engineer-in-Chief, AIR, then the Chief-Engineer would be from Doordarshan & vice-versa)	--Chairman --Member --Member	Nil

1	2	3	4
6. Junior Scale	1. Chairman/Member, UPSC 2. Joint Secretary, M/o I&B 3. Engineer-in-Chief, AIR 4. Engineer-in-Chief, Doordarshan	— Chairman — Member. — Member. — Member	1. Engineer-in-Chief—Chairman 2. Dy. Secy., M/o I&B Member. 3. Chief Engineer—Member. (In case the Chairman is Engineer-in-Chief, AIR then the Chief Engineer would be from Doordarshan and Vice-Versa.)

Note : 1. The absence of Member, other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the Proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meetings.

2. The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Commission shall be held.

3. If an officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to a higher post all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service.

(ix) For posts in the Junior Time Scale.

(6) For sub-rule (4) of rule 4 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) Government may in consultation with the Commission, include in the service any allied posts other than those included in Schedule I or exclude from the service a post included in the said Schedule.”

(7) (3) For sub-rule (4) of the rule 7 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely:

“(4) The Selection of officers for promotion shall be made by selection on merit except in the case of promotion to the posts in Senior Time Scale and Junior Administrative Grade (Selection Grade). Promotions to Senior Time Scale shall be made in the order of seniority subject to rejection of the unfit and selection for promotion to Junior Administrative Grade (Selection Grade) shall be made on the basis of seniority based on suitability taking into account the over-all performance, experience and any other related matters, on the recommendations of the DPC duly constituted under Schedule IV.”

(8) For paragraph (2) of Schedule II of the said rules, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) Attained the age of 20 years and must not have attained the age of 28 years as on first day of August of the years in which the examination is held.”

Note : (2) The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3(i), dated 5-11-81 vide Government Notification, Ministry of I&B No. 301/1/81-B(D). (GSR 678 (E) dated 4-11-81 and was subsequently amended by:—

(i) Government Notification No. 301/1/81-D(B), G.S.R. 573 (E), dt. 13-9-82 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3 (i)

(ii) Govt. Notification No. 301/14/85-B(D) GSR 725 dated 6-9-86, published in the Gazette of India Part-II Section 3(i)

(iii) Govt. Notification dated 14-9-87 published in the Gazette of India, Part-II Section 3(i).

(iv) Govt. Notification dt. 21-10-87 published in the Gazette of India, Part-II Section 3(i).

[No. 2/7/85-SIII/B(D)]

V. K. ARORA, Under Secy.